

क्रियान्वयन

मैं कि हरीष गुरांगी पुत्र मध्येता गुरांगी विवाही - जप्पुर नैनीताल
जिला नैनीताल ना हूँ, क्रियान्वयना मा पृथम पक्षालार भवन स्वामी हूँ,
द्वितीय पक्षालार क्रियायेदार मैसर लक्ष्मी दत्त बिवाह द्वारा प्रोप- ज्योति
कामलेश्वर, जे० बी० १० होटल स्टॉर्ट नौदाराट अल्मोड़ा जिला अल्मोड़ा
है। मूँ पृथम पक्ष भवन स्वामी द्वारा आपने उपरोक्त पते पर बने मना०
नो आप द्वितीय कम्नी नो मुबलिं १५००/- रुपया प्रतिमाह के दर से क्रिया
तैय न्ऱ दिनांक १-१-२०२५ से वास्ते र्घारह माह पानि दिनांक १-१-२०२५ तक
के लिये क्रियाये पर दे दिया है जिसमें बिजली एवं पानी ना बिल भी इसी
क्रिये नी राशि में सम्मिलित है। आप द्वितीय पक्ष द्वारा भवन ना क्रिया
प्रारम्भ होने के ए० सप्ताह के अन्दर हर द्वालत में अदा कर दिया जायेगा।
क्रिये के मना० में बिना भवन स्वामी पृथम पक्ष नी अनुमति के कोई किसी
पुलार नी रददो बदल नही० नी जायेगी। तथा क्रिये पर लिये गये भवन में
किसी भी पुलार का लोड्गेर लानूनी कार्य नही० जाने उसकी पूर्ण जिम्मेदारी
द्वितीय पक्ष क्रियेदार ही होगी। क्रिये नी नियिकत अवधि र्घारह माह
चौमास्त हो जाने पर क्रियेदारी पूर्ण स्थ से नियत मानी एवं समझाई जायेगी, इस
अवधि के बाद यदि पक्षालारान के मध्य आपस में तदमति बनती है तो नया
क्रियान्वयना नई इतरों के आधार पर तहरीर ल्लवा न्ऱ क्रियेदारी आगे भी
बढ़ायी जा सकती है।

ऐतरेव यह क्रियान्वयना पक्षालारान द्वारा बिना किसी जोर दबाव
के स्वरूप गवाहन ने आज दिनांक १०-१-२०२५ ने बमुलाम हल्द्वानी जिला नैनीताल
में तहरीर ल्लवा दिया ताकि सनद रहे ओर वख्त जररत पर लाभ आवे।

द्वितीय पक्ष

गवाहन

१ - मध्येता

२ - Signature

Sury Kumar Sharma

(DENIED BY
Meen Singh)

British
द्वितीय पक्ष भवन स्वामी

Kamal
द्वितीय पक्ष - क्रियेदार

GANGA PRASAD
Advocate
Notary- HALDWANI
Distt. Nainital (U.P.) India

10/1/2025

